24-5-18	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलार्थी/रेस्पो. उपस्थित [illegible] मिश्रा [illegible] दिनांक 29-5-18 को पेश हो।	
29.5.18	पत्रावली पेश। आज P.O. ना होने के कारण अपील पर वकील अपीलार्थी ने जाहिर किया कि हमारा रानी नाम होने के कारण अपील आगे नहीं चलाना चाहता वास्ते उचित आदेश। पेश दिनांक 30-5-18 को पेश हो।	विकास सैनी [illegible]
30-5-18	वकालत में करीबन उप० अपीलार्थी ने अपील में राजीनामा हो जाने से अपील को आगे नहीं चलाने के कारण अपील को खारिज करने का निवेदन किया। वकील अपीलार्थी के निवेदन पर अपील नहीं चलाने के कारण अपील खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।	हरिश कुमार — सहायक कलक्टर — क्रम/2017 प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर